नागरिक / क्लाइंट का चार्टर

राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान (मैनेज)

पता: राजेंद्रनगर, हैदराबाद - 500030

वेबसाइट आईडी: http://www.manage.gov.in

जारी होने की तिथि : 02 फरवरी, 2024

मैनेज का नागरिक चार्टर

1. मैनेज क्या है?

1.1. राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान (मैनेज), भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के तहत एक स्वायत्त संगठन है। इस संस्थान की स्थापना वर्ष 1987 में तेजी से बढ़ते और विविधता से भरे कृषि क्षेत्र में कृषि विस्तार की चुनौतियों से निपटने के लिए की गई थी। भारतीय कृषि का एक बड़े व्यावसायिक और बाजार-आधारित क्षेत्र के रूप में बदलना, और कृषि तकनीक का लगातार जटिल होना, इस बात की मांग कर रहा था कि कृषि विस्तार प्रणाली को नए सिरे से सुधारने और आधुनिक बनाने के लिए बड़े कदम उठाए जाएं। मौजूदा प्रणाली को बदलने के लिए पेशेवर मार्गदर्शन और आवश्यकतानुसार कर्मचारियों को प्रशिक्षण देकर विस्तार प्रणाली को संभालने के प्रभावी तरीके विकसित करने की आवश्यकता थी।

1.2 कामकाज में पर्याप्त लचीलापन लाने के लिए, मैनेज को दिनांक 11 जून 1987 को 'आंध्र प्रदेश (तेलंगाना क्षेत्र) सार्वजनिक सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1350 फस्ली' (1350F का अधिनियम) के तहत एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया था।

1.3 मैनेज का मुख्य उद्देश्य नीतियों और कार्यक्रमों में आवश्यकता के अनुसार बदलाव लाने के साथ-साथ विस्तार कर्मचारियों के ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण में सुधार कर कृषि व संबंधित क्षेत्रों में काम करने के तरीकों को बेहतर बनाने में भारत सरकार और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की मदद करना है। कृषि विस्तार प्रबंधन, प्रबंध शिक्षा आदि में मैनेज प्रशिक्षण, अनुसंधान, परामर्श और दस्तावेजीकरण की सेवाएं प्रदान करता है, और चुनिंदा केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं को लागू करता है।

1.4 विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ-साथ निजी क्षेत्र में भी कृषि, बागवानी, पशुपालन और पशु चिकित्सा विज्ञान, मत्स्य पालन आदि विभागों में काम करने वाले विस्तार कर्मियों को प्रशिक्षण देना मैनेज के मुख्य उद्देश्यों का एक अहम हिस्सा है।क्षमता निर्माण के तहत, मैनेज वर्तमान समय के महत्वपूर्ण विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएं और सेमिनार आयोजित करता है। इसका उद्देश्य विस्तार कर्मियों को नई चुनौतियों से निपटने और भारत सरकार के विभिन्न प्रमुख कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए तैयार करना है। अपने वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर को अंतिम रूप देने से पहले, मैनेज एक 'वार्षिक प्रशिक्षण योजना कार्यशाला' आयोजित करता है। इसमें विस्तार से जुड़ी गतिविधियों में ईईआई, समेती, राज्य कृषि विभागों और संबंधित क्षेत्रों जैसे हितधारकों की बदलती जरूरतों का आकलन किया जाता है। इसके अलावा, मैनेज भारत सरकार, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और निजी क्षेत्र के अनुरोध पर उनकी जरूरत के अनुसार तैयार किए गए कार्यक्रम भी आयोजित करता है।

1.5 इस संस्थान की अनुसंधान गतिविधियाँ समकालीन और संबंधित विषयों पर केंद्रित होती हैं। मैनेज सीमित स्तर और सीमित क्षेत्र में ज़मीनी स्तर पर विचारों, अवधारणाओं और तकनीकों का परीक्षण करने के लिए 'ऐक्शन रिसर्च' करता है। इसके अलावा, मैनेज भारत सरकार, राज्यों या अन्य संगठनों के अनुरोध पर परामर्श के आधार पर विभिन्न कार्यक्रमों और परियोजनाओं का मूल्यांकन भी करता है, ताकि उनके प्रभाव का आकलन किया जा सके।

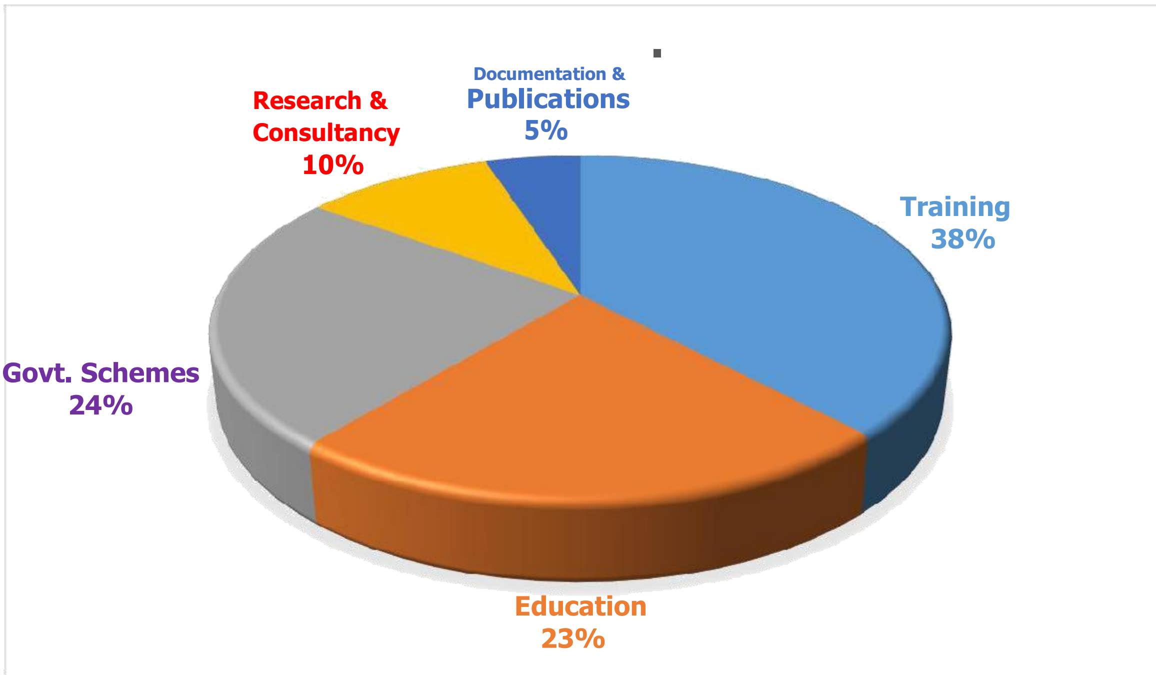

1.6 शिक्षा:

प्रबंधन शिक्षा के एक भाग के रूप में, मैनेज वर्ष 1996 से 'कृषि-व्यवसाय प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा' करा रहा है, जिसे उद्योग और छात्र समुदाय दोनों द्वारा स्वीकार्य किया गया है।

मैनेज 'कृषि विस्तार प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा' भी चला रहा है। यह एक सतत शिक्षा कार्यक्रम है, जिसे सेवारत विस्तार कर्मियों के लिए दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से चलाया जा रहा है।

यह संस्थान इनपुट डीलर्स के लिए 'कृषि विस्तार सेवा डिप्लोमा' (देसी) का भी आयोजन कर रहा है। यह एनएमएईटी के तहत एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसका उद्देश्य काम कर रहे इनपुट डीलर्स को 'संपर्क कक्षा और दूरस्थ शिक्षा' के माध्यम से औपचारिक कृषि शिक्षा देना है। इसके साथ ही, मैनेज कई ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम भी चला रहा है, जैसे: 'कृषि-वेअरहाउसिंग प्रबंधन में पोस्ट-ग्रेजुएट डिप्लोमा' (पीजीडीएडब्ल्यूएम), 'प्रमाणित कृषि सलाहकार/पशुधन सलाहकार कार्यक्रम' और 'प्रशासकों के लिए कृषि'।

मैनेज वर्ष भर चलने वाला एक इंटर्नशिप कार्यक्रम भी चलाता है। इसका उद्देश्य छात्रों को व्यावहारिक अनुभव देना है, ताकि वे विस्तार शिक्षा के ज्ञान और सिद्धांतों को पेशेवर माहौल में काम करते हुए व्यावहारिक रूप में सीख सकें और अपने कौशल का विकास कर सकें। यह इंटर्नशिप छात्रों को विस्तार शिक्षा में हो रहे नए सुधारों को जानने, काम का मूल्यवान अनुभव हासिल करने, मैनेज के संकाय (शिक्षकों) और ज़मीनी स्तर के विस्तार पेशेवरों के साथ चर्चा करने का अवसर देता है। साथ ही, यह कृषि विस्तार के हितधारकों के बीच एक पेशेवर नेटवर्क बनाने में मदद करता है। छात्रों के इस शोध कार्य को मैनेज द्वारा 'चर्चा पत्र' के रूप में प्रकाशित किया जाता है।

1.7 सरकारी योजनाएँ:

मैनेज भारत सरकार की योजनाओं जैसे कि "एग्री-क्लीनिक और एग्री-बिजनेस सेंटर योजना (एसीएबीसी)" को लागू करने में शामिल है। एसीएबीसी योजना का उद्देश्य सरकारी कृषि विस्तार के प्रयासों को बढ़ावा देना है और साथ ही कृषि पेशेवरों के लिए लाभकारी स्वरोजगार के अवसर पैदा करना है, जिससे गांवों से शहरों की ओर होने वाले पलायन को रोका जा सके।

ग्रामीण युवाओं का कौशल विकास सरकार की एक प्रमुख योजना है। राष्ट्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता नीति 2015 के अनुपालन में, भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2015-16 और 12वीं योजना की शेष अवधि के दौरान 'राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं प्रौद्योगिकी मिशन' (एनएनएईटी) के 'कृषि विस्तार उप-मिशन' (एसएएमई) के तहत कौशल विकास घटक को लागू करने की पहल की है। इसके तहत 'ग्रामीण युवाओं का कौशल प्रशिक्षण' (एसटीआरवाई) और 'किसानों का क्षमता मूल्यांकन एवं प्रमाणन' (एफसीएसी) कार्यक्रम शामिल हैं। मैनेज राज्य स्तर पर स्थापित 'समेती' के माध्यम से इस गतिविधि का समन्वय करेगा। इन प्रशिक्षण गतिविधियों को राज्य स्तर पर 'समेती' के माध्यम से लागू किया जाएगा और जिला स्तर पर 'आत्मा' (एटीएमए) के माध्यम से इनका समन्वय किया जाएगा। 'समेती' व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों / कृषि विज्ञान केंद्रों/ नेहरू युवा केंद्रों आदि के माध्यम से प्रमाणन प्रक्रिया का आयोजन करेगा।

मैनेज इनपुट डीलर्स के लिए 'कृषि विस्तार सेवा डिप्लोमा' (देसी) कार्यक्रम में भी शामिल है। यह कार्यक्रम कृषि-इनपुट डीलर्स को उनके क्षेत्र के अनुसार प्रासंगिक कृषि शिक्षा देता है, ताकि उन्हें पर्याप्त ज्ञान से लैस करके "पैरा-विस्तार पेशेवरों' के रूप में बदला जा सके। इससे वे ज़मीनी स्तर पर किसानों द्वारा रोज़ाना सामना की जाने वाली समस्याओं का समाधान करने में सक्षम हो पाते हैं।

भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने देश में कृषि के बुनियादी ढांचे में सुधार करने के लिए मैनेज को 'कृषि अवसंरचना कोष योजना' लागू करने वाली नोडल एजेंसी के रूप

में चुना है। इस योजना का उद्देश्य प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता के माध्यम से, फसल कटाई के बाद के प्रबंधन के बुनियादी ढांचे और सामुदायिक खेती की संपत्तियों से जुड़ी व्यावहारिक परियोजनाओं में निवेश के लिए मध्यम और लंबी अवधि के ऋण की सुविधा जुटाना है।

मैनेज 'राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र पुनरुद्धार हेतु लाभकारी दृष्टिकोण' (आरकेवीवाई-रफ्तार) को भी लागू कर रहा है, जो भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है। इसका उद्देश्य देश में कृषि-उद्यमिता और कृषि-व्यवसाय पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करके कृषि व संबंधित क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना है। साथ ही, यह योजना संभावनाओं से भरे नए कृषि-स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता देने और बिजिनेस इनक्यूबेशन (व्यावसायिक मार्गदर्शन और सहयोग) की प्रणाली को विकसित करने का काम करती है।

1.8 मैनेज की गतिविधियाँ कृषि विकास से जुड़े सभी हितधारकों को कवर करती हैं, जिनमें विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग एजेंसियों के अलावा सरकारी और निजी क्षेत्र के संगठन, स्वैच्छिक संगठन, किसानों के समूह और संगठन, निजी विस्तार सेवा प्रदाता, कृषि-व्यवसाय कंपनियां और सहकारी समितियां शामिल हैं। एक शीर्ष संस्थान के रूप में, मैनेज एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, जो अन्य राज्य स्तरीय संस्थानों को अपनाने के लिए प्रणालियों के डिज़ाइन और पेशेवर गतिविधियों के मॉडल तैयार करता है। अपने अनुभवों और संसाधनों को अन्य संस्थानों के साथ साझा करना इसके मुख्य उद्देश्यों में से एक है।

2. विज़न

मैनेज का विज़न विश्व में सबसे अग्रणी, प्रगतिशील, उपयोगकर्ता अनुकूल और स्वावलंबी कृषि प्रबंध संस्थानों में गिना जाना है।

3. मिशन

मैनेज का मिशन कृषि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में विस्तार अधिकारियों, प्रबंधकों वैज्ञानिकों और प्रशासकों द्वारा प्रबंधकीय और तकनीकी कौशल अर्जित करने की सुविधा प्रदान करना है ताकि वे सततत कृषि के लिए किसानों और मछुवारों को सर्वाधिक प्रभावी सहायता और सेवाएं प्रदान कर सकें और उनकी उपज के लिए बेहतर सेवाएं प्रदान और उनकी उपज के लिए बेहतर आय सुनिश्चित कर सकें।

4. अधिदेश

- कृषि विस्तार प्रबंधन से जुड़े प्रमुख राज्य, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के बीच संबंध विकसित करना
- कृषि विस्तार प्रबंधन प्रणाली और नीतियों की अंतर्दृष्टि अर्जित करना
- संकाय संसाधन साझा करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ सहयोगपूर्ण संबंध स्थापित करना।
- कृषि विस्तार संगठनों की प्रभावशीलता में सुधार के लिए आधुनिक प्रबंधन उपकरणों का विकास और प्रोत्साहन
- वरिष्ठ और मध्य स्तर के कृषि विस्तार अधिकारियों के लिए आवश्यकता-आधारित प्रशिक्षण का आयोजन
- कृषि विस्तार प्रबंधन पर समस्या अभिविन्यस्त अध्ययन आयोजित करना
- कृषि प्रबंधन से संबंधित विषयों पर जानकारी एकत्र करके , संचयन, प्रकर्मण और फैलाव के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्रलेखन केंद्र के रूप में कार्य करना।

5. मैनेज के केंद्र

मैनेज की मुख्य गतिविधियां ग्यारह विषय-आधारित केंद्रों और एक स्कूल ऑफ एग्रीबिजनेस मैनेजमेंट के माध्यम से संचालित की जाती है।

ये केंद्र इस प्रकार हैं:

5.1 कृषि विस्तार नीति केंद्र, विस्तार में सार्वजनिक-निजी भागीदारी और कृषि विस्तार में उत्कृष्टता का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र

यह केंद्र कृषि विस्तार प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें कृषि विस्तार प्रबंधकों के लिए दूरस्थ शिक्षा, ऑनलाइन प्रशिक्षण और परीक्षण मॉड्यूल विकसित करना, कृषि विस्तार से जुड़े समाधान उपलब्ध कराना, तकनीकी नवाचारों को बढ़ावा देना और विस्तार प्रणाली में सुधार जैसे पहलू शामिल हैं।

5.2 कृषि विस्तार नवाचार, सुधार और कृषि उद्यमिता का केंद्र

यह केंद्र कृषि विस्तार और एग्री-क्लीनिक व एग्री-बिजनेस केंद्र योजना के कृषि उद्यमिता कार्यक्रमों से जुड़े वरिष्ठ और मध्यम स्तर के विकास पेशेवरों के लिए नियमित क्षमता विकास कार्यक्रम, कार्यशालाएं और सम्मेलन आयोजित करता है। योजनाओं को और बढ़ावा देने, प्रशिक्षण कार्यक्रमों की गुणवत्ता व संख्या में सुधार करने, सहायता गतिविधियों और कृषि-उद्यमियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए 'नवाचार और कृषि-उद्यमिता केंद्र' कार्य कर रहा है। इसके अलावा, यह केंद्र स्नातकोत्तर छात्रों के लिए 'मैनेज इंटर्नशिप कार्यक्रम' भी चलाता है। साथ

ही, यह केंद्र 'एक्सटेंशन नेक्स्ट' बुलेटिन, राज्य स्तरीय वर्किंग पेपर्स और वर्तमान विषयों पर शोध-आधारित चर्चा पत्रों के अनुसंधान और प्रकाशन का काम भी करता है। केंद्र ने आवश्यकता अनुसार और व्यावहारिक कृषि विस्तार पाठ्यक्रम को बढ़ावा देने, साथ ही नवीन विस्तार दृष्टिकोणों व नीति अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए "कृषि विस्तार को बढ़ावा देने के लिए मैनेज-विश्वविद्यालय गठबंधन" की भी शुरुआत की है।

5.3 कृषि-संस्थानों की क्षमता निर्माण का केंद्र

यह केंद्र संस्थानों, विस्तार कर्मचारियों और अन्य हितधारकों के क्षमता निर्माण जैसे पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है। इसके मुख्य कार्यों में शामिल हैं: विभिन्न हितधारकों की क्षमता परीक्षण के तरीके, प्रणालियाँ और तौर-तरीके विकसित करना; विस्तार पेशेवरों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं का विश्लेषण, परियोजना योजना और उसका कार्यान्वयन; प्रशिक्षण संस्थानों और प्रशिक्षकों का मान्यता निर्धारण; संस्थागत उत्कृष्टता हासिल करने के लिए कार्यप्रणालियाँ तैयार करना; कार्यक्रमों को लागू करने के लिए समेती और आत्मा को सहयोग देना; और विस्तार के प्रयासों के प्रभाव का आकलन करने के लिए तरीकों को विकसित व संचालित करना।

5.4 कृषि विस्तार में आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और विपणन का केंद्र

यह केंद्र कृषि विपणन और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पर प्रशिक्षण और क्षमता विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। इसके साथ ही, यह उभरते हुए विस्तार पेशेवरों के लिए कृषि विपणन पर शैक्षिक कार्यक्रम चलाता है; कृषि विपणन और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पर सरकारी व निजी संगठनों के लिए परामर्श कार्यक्रम आयोजित करता है और कार्यक्रमों को लागू करने के लिए आईसीएआर, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालयों, ईईआई, समेती, आत्मा और राज्य विभागों को सहयोग प्रदान करता है।

5.5 कृषि-संबद्ध क्षेत्रों में विस्तार का केंद्र

यह केंद्र संबद्ध विस्तार प्रबंधन के लिए अवधारणाओं, प्रणालियों और सर्वोत्तम प्रथाओं को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करता है। इसके मुख्य कार्यों में शामिल हैं: बागवानी, मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी, कृषि वानिकी, मुर्गी पालन और रेशम उत्पादन पर आधारित एकीकृत कृषि प्रणालियों के लिए विस्तार सहायता प्रदान करना, सरकारी व निजी संगठनों के लिए संबद्ध क्षेत्रों पर परामर्श प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना और कृषि से जुड़े इन संबद्ध क्षेत्रों पर उद्यमिता विकास कार्यक्रम चलाना।

5.6 कृषि विस्तार प्रबंधन में आईसीटी का केंद्र

यह केंद्र कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए ज्ञान प्रबंधन रणनीति की अवधारणाएं तैयार करने और उन्हें लागू करने पर ध्यान केंद्रित करता है। इसके साथ ही, यह संबंधित दस्तावेजों का एक संग्रह विकसित करता है, विस्तार संबंधी सिफारिशों का एक डेटाबेस तैयार करता है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों पर क्षमता निर्माण करता है और नमेति को लागू करने के लिए सॉफ्टवेयर विकास में सहयोग देता है। इसके अलावा, यह केंद्र भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की डिजिटल कृषि परियोजना को लागू करने का कार्य भी संभालता है।

5.7 कृषि में जेंडर, पोषण सुरक्षा और शहरी कृषि का केंद्र

यह केंद्र कृषि में लैंगिक समानता पर प्रशिक्षण और क्षमता विकास, महिला अधिकारियों के लिए प्रबंधन विकास कार्यक्रम और नए नियुक्त जेंडर समन्वयकों के लिए प्रेरण कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करता है। इसके साथ ही, यह खाद्य प्रणाली और पोषण में नवीन तकनीकों को बढ़ावा देने, प्रभावी कृषि विस्तार सेवाओं के लिए लैंगिक मुख्यधारा और पोषण-संवेदनशील कृषि पर प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करने और परियोजनाओं व अनुसंधान अध्ययनों को लागू करने के लिए परामर्श सेवाएं देने का कार्य करता है।

5.8 गौण कृषि, एफपीओ और निगरानी एवं मूल्यांकन का केंद्र

यह केंद्र एमएंडई (मूल्यांकन और निगरानी) उपकरणों व तकनीकों, बाजार-आधारित विस्तार और कृषि में आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है। इसके साथ ही, यह एफपीओ (किसान उत्पादक संगठनों) के सीईओ, पदाधिकारियों और अन्य हितधारकों का क्षमता निर्माण करता है और किसानों की आय बढ़ाने, फसल बीमा योजनाओं तथा कृषि योजनाओं व कार्यक्रमों के प्रदर्शन पर भारत सरकार को नीतिगत सुझाव प्रदान करता है।

5.9 सतत कृषि, जलवायु परिवर्तन और अनुकूलन का केंद्र

यह केंद्र प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नोडल संगठनों और ज्ञान संग्रह पर ध्यान केंद्रित करता है। इसके साथ ही, यह जलवायु-अनुकूल कृषि, कृषि में जलवायु परिवर्तन के अनुकूल ढलने व इसके प्रभावों को कम करने और जलवायु-पुनरुत्थानशील कृषि में नवाचारों; सतत कृषि, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, जलसंभर, वर्षा-आधारित कृषि और जल संसाधन प्रबंधन; कृषि विकास के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों के माध्यम से व्यावसायिकता विकसित करने पर कार्य करता है।

5.10 कृषि-व्यवसाय प्रबंधन का केंद्र

यह केंद्र प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और अनुसंधान/परामर्श गतिविधियों के माध्यम से कृषि-स्टार्टअप्स सहित कृषि-व्यवसाय संस्थानों और गैर-सरकारी संगठनों के पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित और मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करता है। इसके साथ ही, यह कृषि-व्यवसाय के क्षेत्र में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के साथ-साथ परामर्श व अनुसंधान कार्य करता है, ताकि प्रशिक्षण पाने वाले संस्थानों/संगठनों की उत्पादकता और दक्षता को बढ़ाया जा सके और उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार किया जा सके।

5.11 कृषि-व्यवसाय प्रबंधन स्कूल

स्कूल ऑफ एग्रीबिजनेस मैनेजमेंट पीजीडीएम (एबीएम) पाठ्यक्रम चलाता है। इसका मुख्य ध्यान पीजीडीएम (एबीएम) कार्यक्रम को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के स्तर तक ले जाने और छात्रों को हर चुनौती के लिए तैयार रखने की अवधारणा को आत्मसात कराने पर है।

5.12 ज्ञान प्रबंधन का केंद्र

यह केंद्र वरिष्ठ और मध्यम स्तर के विस्तार पेशेवरों को ज्ञान प्रबंधन, सोशल मीडिया और दस्तावेजीकरण कौशल पर क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण देने पर ध्यान केंद्रित करता है, ताकि वे किसानों को प्रभावी विस्तार सहायता और सेवाएं प्रदान कर सकें। इसके साथ ही, यह कृषि में ज्ञान प्रबंधन पर समेती, ईईआई और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों से मास्टर ट्रेनर (मुख्य प्रशिक्षक) तैयार करने; ज्ञान प्रबंधन के लिए रणनीतियाँ बनाने; और कृषि में ज्ञान प्रबंधन का काम करने वाले राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ संपर्क और जुड़ाव विकसित करने का कार्य करता है।

6. मुख्य सेवाएँ/लेन-देन

क्र. सं.	सेवाएं/लेन-देन	ज़िम्मेदार व्यक्ति	सम्पर्क करने का विवरण	प्रक्रिया	दस्तावेज़ की आवश्यकता	शुल्क
1.	प्रशिक्षण और कार्यशाला	डॉ. शैलेन्द्र, निदेशक (कृषि विपणन)	040-040-24594546	वार्षिक प्रशिक्षण योजना कार्यशाला आयोजित करना, अनुमोदन हेतु अकादमिक समिति की बैठक आयोजित करना प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन में सहायता और निगरानी करना, प्रशिक्षण कैलेंडर तैयार करना और उसे पब्लिश करना।	अकादमिक कैलेंडर	शून्य
2.	मैनेज यूनिवर्सिटी अलायंस	डॉ. सरवणन राज़, निदेशक (कृषि विस्तार)	040-24016693 (O) 8465007799 (M) saravanan.raj@manage.gov.in	पार्टनर परामर्श संवाद में भागीदारी करने की इच्छा अनुसंधान क्षेत्र विस्तार में उन्नति पर कार्य करना	मैनेज की ओर से गठबंधन के कॉन्सेप्ट नोट का निमंत्रण	शून्य
3.	अनुसंधान और परामर्श	डॉ. शैलेन्द्र, निदेशक (कृषि विपणन)	040-040-24594546	केंद्र प्रमुखों से प्रस्ताव प्राप्त करना और अकादमिक समिति की स्वीकृति प्राप्त करना और अनुमोदित प्रस्तावों के कार्यान्वयन की निगरानी करना	रिसर्च और कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट्स के लिए अकादमिक समिति की मंज़ूरी	शून्य

4.	कृषि विस्तार प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीएईएम)	डॉ. विनीता कुमारी उप निदेशक (जेंडर स्टडीज)	040-24017027 (O) 8367287287 (M) veenita.k@manage.gov.in	उम्मीदवारों का नामांकन, कार्यक्रम का संचालन, प्रमाणपत्र प्रदान करना	पीजीडीएईएम के संचालन संबंधी दिशा-निर्देश	सरकारी कर्मचारियों के लिए, ₹15,000/- की फीस का क्रमशः 60%, 90% और 100% हिस्सा सामान्य राज्यों, उत्तर-पूर्वी राज्यों और तीनों हिमालयी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भारत सरकार द्वारा 'विस्तार सुधार योजना' के तहत प्रायोजित किया जाता है। शेष राशि क्रमशः 40% और 10% सामान्य राज्यों और उत्तर-पूर्वी व तीनों हिमालयी राज्यों के लिए संबंधित राज्य सरकारों द्वारा दी जाती है। निजी उम्मीदवारों के लिए यह फीस ₹15,000/- है।
5.	प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (कृषि व्यवसाय प्रबंधन) [पीजीडीएम (एबीएम)]	डॉ. के. कृष्णा रेड्डी निदेशक (आई टी सी)	040-24014527	प्रवेश पाठ्यक्रम तथा छात्रों की इंटर्नशिप और अंतीम प्लेसमेंट का संचालन करना।	पीजीडीएम (एबीएम) का विवरणिका	2023-2025 बैच के लिए ₹8,75,000/- प्रति वर्ष
6.	कृषि भंडारण प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीएडब्ल्यूएएम)	डॉ. शैलेंद्र, निदेशक (कृषि विपणन)	ई-मेल: shalendra@manage.gov.in फ़ोन: 040-24594540/ 7731999925/ 9660102075	प्रवेश पाठ्यक्रम का संचालन, असाइनमेंट और एक्सपोज़र विज़िट प्रमाण पत्र प्रदान करना।	विवरणिका	₹10,000 प्रति उम्मीदवार

7.	प्रमाणित फ़ार्म सलाहकार/प्रमाणित पशुधन सलाहकार	डॉ. एन. बालासुब्रमणि निदेशक (जलवायु परिवर्तन और अनुकूलन (सीसीए))	फ़ोन : 040-24594543 ई-मेल: cfa_manage@manage.gov.in	प्रवेश पाठ्यक्रम का संचालन और प्रमाण पत्र प्रदान करना।	विवरणिका	सार्वजनिक क्षेत्र के लिए प्रति उम्मीदवार ₹5,000 और निजी उम्मीदवार के लिए प्रति उम्मीदवार ₹15,000
8.	इंटर्नशिप कार्यक्रम	डॉ. बी. वेंकट राव, सहायक निदेशक	9848308114 (M) bvrao@manage.gov.in	चयन, दाखिला, मार्गदर्शन, शोध कार्य, मूल्यांकन और प्रकाशन	रिसर्च पूरी होने पर चर्चा पत्र	मैनेज चुने गए प्रशिक्षुओं को वज़ीफ़ा देता है।
9.	कृषि-क्लिनिक और कृषि व्यवसाय केंद्र योजना (एसी और एबीसी)	डॉ. शाहजी फण्ड, उप निदेशक (संबद्ध विस्तार)	04024594550 (O) 9589462211 (M) balraje.shahaji@manage.gov.in	नोडल प्रशिक्षण संस्थानों (एनटीआई) के माध्यम से प्रशिक्षण का आयोजन, प्रशिक्षित उम्मीदवारों द्वारा कृषि-उद्यमों की स्थापना करना, रिफ्रेशर (नवीनीकरण) पाठ्यक्रमों का आयोजन करना	संशोधित कृषि क्लिनिक और कृषि-व्यवसाय केंद्र (एसी और एबीसी) योजना (2010)	शून्य
10	इनपुट डीलरों के लिए कृषि विस्तार सेवाओं में डिप्लोमा (देसी)	डॉ. एम. श्रीकांत, निदेशक, प्रधान समन्वयक (देसी)	फ़ोन: 040-24594535 मो.: 9949773504 srikanth.maram@manage.gov.in	देसी प्रोग्राम के लिए एनरोलमेंट और नए राज्यों में देसी प्रोग्राम का विस्तार।	देसी के परिचालन दिशानिर्देश	₹20,000/- प्रति प्रतिभागी
11	ग्रामीण युवाओं का कौशल प्रशिक्षण (एसटीआरवाई) और किसानों की क्षमता का मूल्यांकन व प्रमाणन (एफसीएसी)	डॉ. शैलेंद्र, निदेशक (एएम)	040-24594540 7731999925/9660102075E- ई-मेल: shalendra@manage.gov.in	कैलेंडर तैयार करना, समेति के माध्यम से एसटीआरवाई कार्यक्रम का संचालन और मंत्रालय को प्रगति रिपोर्ट की निगरानी।	एसटीआरवाई दिशानिर्देश	15 युवाओं के एक बैच के लिए 42,000 रुपये

12	स्टार्टअप और उद्यमिता विकास मैनेज	डॉ. सरवणन राज़, निदेशक (कृषि विस्तार)	040-24016693 (O) 8465007799 (M) saravanan.raj@manage.gov.in	आइडिया/स्टार्ट-अप का चयन, आइडिएशन, मेंटरिंग और (स्केलिंग-अप)	स्टार्ट-अप व्यक्तिगत दस्तावेज़ कंपनी दस्तावेज़ वित्तीय विवरण	शून्य
13.	पुस्तकालय	डॉ. जी भास्कर, सहायक निदेशक (आई टी) (एस जी)	040-040-24594546	मैनेज के प्रकाशनों को बाहर लाना और संपादकीय मार्गदर्शन प्रदान करना	जर्नल ऑफ़ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट मैनेज बुलेटिन एक्सटेंशन डाइजेस्ट वार्षिक रिपोर्ट	लागू नहीं

7. सेवा मानक

क्र.सं.	सेवाएं/लेन-देन	वज़न %	सफलता के संकेतक	सेवा मानक	इकाई	वज़न	डेटा स्रोत
1.	प्रशिक्षण और कार्यशालाएँ	38	तारीख के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम कैलेंडर की मंज़ूरी	प्रत्येक वर्ष हर साल मार्च के आखिर तक कैलेंडर तैयार करके, अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करना और वेबसाइट पर अपलोड करवाया जाता है।	31/03/2020	2	मैनेज रिकॉर्ड
			प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन	> 90% कार्यक्रम प्रशिक्षण कैलेंडर के अनुसार आयोजित किए गए।	प्रशिक्षण कैलेंडर के	35	

					प्रोग्राम का प्रतिशत		
2.	मैनेज यूनिवर्सिटी अलायंस	1	एसएयू के साथ आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों और प्रकाशनों की संख्या अनुसंधान में सिफारिशें	2 प्रशिक्षण कार्यक्रम	संख्या	1	मैनेज रिकॉर्ड
3.	अनुसंधान और परामर्श	10	समय-सीमा के भीतर प्रस्तावों का अनुमोदन प्राप्त करना	जून तक अनुमोदित हुए 90% प्रस्तावों पर काम किया गया।		2	मैनेज रिकॉर्ड
			अनुमोदित समय-सीमा के भीतर पूरा होने की रिपोर्ट प्राप्त करना	> अनुमोदित 90% प्रोजेक्ट तय समय-सीमा के भीतर पूरे और स्वीकार किए गए।		8	
4.	पीजीडीएम (एबीएम)	10	भर्ती की प्रक्रिया समय पर पूरी हो गई।	100%	प्रत्येक वर्ष 15 मई तक	3	मैनेज रिकॉर्ड
			सभी छात्रों के लिए इंटर्नशिप की व्यवस्था करना	प्रत्येक वर्ष लिए इंटर्नशिप	100%	4	
			सभी छात्रों का समय पर प्लेसमेंट	प्रत्येक वर्ष मार्च तक छात्रों का प्लेसमेंट पूरा हो जाता है।	100%	3	
5.	पीजीडीएईएम	10	पंजीकृत उम्मीदवारों की संख्या	1012		5	मैनेज रिकॉर्ड
			नामांकित सभी उममीदवारों के समय पर संशोधित पाठ्यक्रम सामाग्री प्रदान करना।	प्रत्येक वर्ष सितंबर में	दिनांक	5	

6	कृषि भंडारण प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीएडबल्यूएएम)	1	नामांकित छात्रों की संख्या पाठ्यक्रम पूरा करने वाले छात्रों की संख्या	ऑफ़र डॉक्यूमेंट में बताए अनुसार वार्षिक मील के पत्थर की पूर्ति	कोई लक्ष्य नहीं	1	मैनेज रिकॉर्ड
7	प्रमाणित फ़ार्म सलाहकार / प्रमाणित पशुधन सलाहकार	1	पाठ्यक्रम पूरा करने वाले छात्रों की संख्या	ऑफ़र डॉक्यूमेंट में बताए अनुसार वार्षिक मील के पत्थर की पूर्ति	कोई लक्ष्य नहीं	1	मैनेज रिकॉर्ड
8	इंटर्नशिप कार्यक्रम	1	इंटर्नशिप का प्रतिशत पूरी हुई इंटर्नशिप की संख्या	इंटर्नशिप पर आधारित प्रकाशन	इंटर्न की संख्या के बराबर प्रकाशन	1	मैनेज रिकॉर्ड
9	कृषि-क्लिनिक और कृषि -व्यवसाय केंद्र योजना (एसी और एबीसी)	1	प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या	5000	नंबर	4	मैनेज रिकॉर्ड
			प्रशिक्षित उम्मीदवारों द्वारा स्थापित कृषि उद्यमों की संख्या	2000	नंबर	3	
			आयोजित रिफ्रेशर कोर्स की संख्या	20	नंबर	3	
10	इनपुट डीलरों के लिए कृषि विस्तार सेवाओं में डिप्लोमा (देसी)	10	देसी के लिए नामाकिंत इनपुट डीलरों की संख्या	18960	नंबर	5	मैनेज रिकॉर्ड
			नए राज्यों से नामांकित उम्मीदवार	40	नंबर	5	
11	ग्रामीण युवाओं का कौशल प्रशिक्षण (एसटीआरवाई) और	1	मंत्रालय द्वारा निर्धारित लक्ष्य को पूरा करना	लक्ष्यों को समय पर पूरा करना	जैसा कि मंत्रालय ने बताया है	1	मैनेज रिकॉर्ड

	किसानों की क्षमता का मूल्यांकन और प्रमाणन (एफसीएससी)						
12	स्टार्ट-अप और उद्यमिता विकास	2	इनक्यूबेट किए गए स्टार्टअप्स की संख्या	हर साल 20 स्टार्ट-अप	नंबर	1	मैनेज रिकॉर्ड
			आयोजित किए गए मेंटरिंग कार्यक्रमों की संख्या	5 नंबर	नंबर	1	

सेवा मानक:

13.	दस्तावेजीकरण	2	सामने लाए गए सभी मुद्दे (2-जेएएम, 6-मैनेज बुलेटिन, वार्षिक रिपोर्ट-1)	वर्ष के दौरान जारी किए गए सभी 9 प्रकाशन	अनुसूची के अनुसार प्रकाशनों की संख्या	3	मैनेज रिकॉर्ड
			ई-बुलेटिन-एग्रीप्रेन्योर (12) और स्पाइस (4) के लिए प्रति वर्ष निर्धारित समय-सीमा के भीतर संपादकीय सहायता।	वर्ष के दौरान जारी किए गए सभी 16 अंक	नंबर	2	

8. शिकायत निवारण

क्र. सं.	जन शिकायत अधिकारी का नाम	हेल्पलाइन नंबर	ई-मेल	मोबाइल नंबर
	श्रीमती अनीता पार्थ सारधी उप निदेशक (प्रशासन)	040-24594511	ddadmin@manage.gov.in	

मैनेज के लिए नागरिक/ग्राहक चार्टर

9. हितधारकों/ग्राहकों की सूची

क्र. सं.	हितधारक/ग्राहक
1.	राज्य सरकारों के कृषि और सबंद्ध क्षेत्रों के अधिकारी प्रशिक्षु मैनेज के "ऑन-कैंपस" और ऑफ-कैंपस" (परिसर से बाहर) दोनों प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। इसके साथ ही, कार्यकारी प्रशिक्षु अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं।
2.	एसी और एबीसी, देसी और पीजीडीएईएम के तहत प्रशिक्षण लेने वाले और पीजीडीएम (एबीएम) कार्यक्रम के छात्र।
3.	इसमें सरकारी एजेंसियों जैसे की समेति, ईईआई, आत्मा और जलसंभर विकास विभाग आदि शामिल है। साथ ही कृषि व्यवसाय, कंपनियां और गैर-सरकारी-संगठन आदि भी इसमें शामिल है। इसके अलावा, आईसीएआर संस्थान, राज्य कृषि एवं सबंद्ध विश्वविद्यालय और अन्य संगठन (राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय) भी इसके भागीदार हैं, जो मैनेज के साथ मिलकर सहयोगात्मक/संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं।
4.	एसएयू के छात्र, अन्य आधिकारिक मेहमान और मैनेज आने वाले किसान
5.	एसी और एबीसी योजना और देसी के तहत नोडल प्रशिक्षण संस्थान
6.	वे एजेंसियां/संगठन जिन्हें मैनेज कंसल्टेंसी सेवाएं देता है
7.	मैनेज को सामान और सेवाएं देने वाले कॉन्ट्रैक्टर/एजेंसियां/वेंडर
8	मैनेज के कर्मचारी, कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारी और पेंशनभोगी

10. सेवा प्राप्तकर्ताओं से अपेक्षाएं

क्र. सं.	सेवा प्राप्तकर्ताओं से अपेक्षाएं
1.	मैनेज प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए उपयुक्त स्तर के पर्याप्त अधिकारियों को नामित करना और उन्हें समय पर कार्यमुक्त करना।
2.	मैनेज में आयोजित विभिन्न कार्यशालाओं के दौरान राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों द्वारा कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों के अधिकारियों की "प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं" का अनुमान लगाना और कृषि विस्तार पेशेवरों की प्रशिक्षण आवश्यकता को जानने के लिए सर्वेक्षण करना।
3.	कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों तथा किसान समुदाय के व्यापक लाभ के लिए, प्रतिभागी अधिकारियों के रोज़मर्रा के कामकाज में मैनेज द्वारा दी गई प्रशिक्षण से मिली जानकारी का सही उपयोग।
4	मैनेज द्वारा कोऑर्डिनेट किए जाने वाले भारत सरकार के विभिन्न प्रमुख कार्यक्रमों को लागू करने में ईईआई और समेति जैसे केंद्र/राज्य सरकारों के अधिकारियों और संस्थानों, नोडल प्रशिक्षण संस्थानों और फैसिलिटेटर्स की सक्रिय भूमिका और सहयोग। इसमें प्रमुख कार्यक्रमों को लागू करने के लिए जारी भारत सरकार के फंड का सही मैनेजमेंट शामिल है, जिसमें समय पर लेखा का निपटारा और यूटिलाइज़ेशन सर्टिफिकेट (यूसीएस) जमा करना भी शामिल है।
5	एग्रीबिज़नेस कंपनियाँ और दूसरी रिक्रूटिंग एजेंसियाँ अपने सीनियर अधिकारियों को पीजीडीएम (एबीएम) छात्रों के साथ अपनी विशेषज्ञता साझा करने, एमडी पी एस को प्रायोजित करने और छात्रों को इंटर्नशिप व फ़ाइनल प्लेसमेंट दिलाने के लिए नियुक्त करें।
6	कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों के पेशेवर एसी और एबीसी योजना का लाभ उठाने और एग्री-वेंचर (कृषि-व्यवसाय) शुरू करने के लिए आगे आएं और इस तरह पब्लिक एक्सटेंशन सिस्टम (सार्वजनिक विस्तार प्रणाली) के प्रयासों में सहयोग करें।
7	शिक्षाविद, विस्तार कार्यकर्ता और छात्र मैनेज के प्रकाशनों में सफलता की कहानियाँ, केस स्टडीज़ और शोध पत्र साझा करेंगे।
8	बेरोज़गार युवाओं के बीच कृषि-व्यवसाय में उद्यमिता को बढ़ावा देना; इनक्यूबेशन गतिविधियों के ज़रिए इनोवेटर्स को कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों में कमाई के अवसर उपलब्ध कराना।

-हस्ताक्षर-

महानिदेशक, मैनेज